लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/87/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः— 21.11.2017

श्री नन्दलाल पिता केशुराम ब्राह्मण निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

निर्णय

दिनांक 15.12.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.10.2017 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 87/2017/(15.12)/877 दिनांक 22.11.2017 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को दिनांक 15.12.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.12.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

प्रकरण संख्या 87/2017 (सू.अ.)
श्री नन्दलाल ब्राह्मण निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2017 से अपना पक्ष रखा कि उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा आदिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वांछित सूचना दिलाई जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/आर.टी.आई./2017/149 दिनांक 07.12.2017 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह सही है कि अपीलान्ट प्रार्थी श्री नन्दलाल पिता केशुराम ब्राह्मण निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं पाने का आवेदन पत्र मय निर्धारित आवेदन शुल्क के जरिये ड़ाक द्वारा दिनांक 16.10.2017 को प्राप्त हुआ।
2. प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/आर.टी.आई./2017/130 दिनांक 06.11.2017 (प्रति संलग्न) से अवगत कराया कि आप द्वारा चाही गयी सूचना में पत्रावली के मिसल नम्बर मय अनवान आदि का स्पष्ट अंकन आवेदन पत्र में नहीं किया गया है। अतः चाही गई सूचना का स्पष्ट अंकन नहीं होने से सूचना दिया जाना सभंव नहीं है।
3. अपील के बिन्दु संख्या 2 के संबंध में प्रार्थी अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है और न ही कोई जानकारी दी है। बिन्दू संख्या 2 में अंकित विवरण बेबुनियाद एवं गलत है। अपने कथन की पुष्टि में प्रार्थी ने प्रस्तुत अपील में भी कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः अपील खारीज योग्य है।
4. अपील के बिन्दू संख्या 3 में दिनांक 21.08.17 को नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी का उपस्थिति रजिस्टर की नकल चाहने बाबत उल्लेख किया गया है जबकि आवेदन पत्र में दिनांक 21.08.2017 को उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटवारी उपस्थित थे या नहीं की सूचना चाही गई है। आवेदन पत्र में उक्त चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक/काल्पनिक

सूचना की प्रकृति की होने से राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जयपुर के परिपत्र कमांक/प.3(22)प्र.सू./सू.अ.प./06 दिनांक 02.02.09 के अनुसार उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील खारीज योग्य है।

5. यह कि प्रार्थी को समयावधि में अवगत कराया जा चुका है ऐसी स्थिति में अपील खारीज योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जवाब तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/आर.टी.आई./2017/149 दिनांक 07.12.2017 से प्रेषित कमेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/आर.टी.आई./2017/130 दिनांक 06.11.2017 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का न तो स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया गया और न ही कोई पत्र व्यवहार किया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 में प्रश्नात्मक सूचना चाही गई है। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को

वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है और ना ही कोई पत्र व्यवहार किया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./87/2017(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2017

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
2. श्री नन्दलाल पिता केशुराम ब्राह्मण निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)